भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

उज ज वला

दुव र्यापार की रोकथाम तथा वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए दुव र्यापार के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास तथा पुन:एकीकरण के लिए एक व यापक स कीम

(1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी)

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

उज ज वला

दुव र्यापार की रोकथाम तथा वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए दुव र्यापार के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास तथा पुन:एकीकरण के लिए एक व यापक स कीम

क. पृष ठभूमि

1. वाणिजि यक यौन शोषण के लिए महिलाओं एवं बच चों का दुव र्यापार एक संगठित अपराध है जिससे बुनियादी मानवाधिकारों का उल लंघन होता है । भारत, देश में तथा सीमा-पारीय दुव र्यापार दोनों के लिए, एक स्रोत, गंतव य एवं पारगमन के रूप में उभरा है । वाणिजि यक यौन शोषण के लिए महिलाओं एवं बच चों के दुव र्यापार की समस या, विशेषरूप से इसकी विशाल जटिलताओं एवं विचलन के कारण, चुनौतिपूर्ण है । गरीबी, महिलाओं का निम न स तर, संरक्षी परिवेश का अभाव आदि दुव र्यापार के कुछ कारणों में शामिल हैं ।
2. एक बहुक्षेत्रक दृषि टकोण की जरूरत है जो विशेषरूप से आबादी के कमजोर वर्गों एवं क्षेत्रों में दुव र्यापार पर लगाम लगाने के लिए तथा दुव र्यापार के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास एवं पुन:एकीकरण को समर्थ बनाने के लिए निवारक कदम उठाएगा ।

3. उपर्युक्त मुद्दों एवं कमियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने "दुर्व्यापार की रोकथाम तथा वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए दुर्व्यापार के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास एवं पुन:एकीकरण के लिए व्यापक स्कीम - उज्ज्वला" नामक एक केंद्रीय स्कीम तैयार की है । नई स्कीम मुख्यरूप से एक ओर दुर्व्यापार की रोकथाम और दूसरी ओर पीड़ितों के बचाव एवं पुनर्वास के लिए बनाई गई है ।

ख. स्कीम के उद्देश्य

- सामाजिक संचेतना तथा स्थानीय समुदाय की भागीदारी, जागरुकता सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार को रोकना, कार्यशालाओं/सेमीनारों तथा ऐसे कार्यक्रमों एवं किसी अन्य नवाचारी गतिविधि के माध्यम से सार्वजनिक संवाद सृजित करना ।
- उनके शोषण के स्थान से पीड़ितों के बचाव को सुगम बनाना और उनको सुरक्षित अभिरक्षा में रखना
- आश्रय, भोजन, कपड़ा, चिकित्सा उपचार सहित परामर्श, कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी बुनियादी सुविधाएं/आवश्यकताएं उपलब्ध कराकर पीड़ितों को तात्कालिक एवं दीर्घावधिक दोनों प्रकार की पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना ।
- परिवार और पूरे समाज में पीड़ितों के पुन:एकीकरण को सुगम बनाना ।
- सीमा-पारीय पीड़ितों के, उनके मूल देश में, प्रत्यर्पण को सुगम बनाना ।

ग. लक्षित समूह / लाभार्थी

- महिलाएं एवं बच्चे जिनका वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए आसानी से दुर्व्यापार किया जा सकता है ।
- महिलाएं एवं बच्चे जो वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए दुर्व्यापार के शिकार हैं ।

घ. कार्यान्वयन एजेंसियां

कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य सरकार के समाज कल्याण / महिला एवं बाल कल्याण विभाग, महिला विकास निगम, महिला विकास केंद्र, शहरी स्थानीय निकाय, प्रतिष्ठित सार्वजनिक /निजी न्यास या स्वैच्छिक संगठन हो सकते हैं । संगठन के पास देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों एवं महिलाओं, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों आदि के संबंध में दुर्व्यापार, सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव होना जरूरी है ।

ड. पात्रता की शर्तें

कार्यान्वयन करने वाले संगठनों के लिए पात्रता की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है :

1. एजेंसी कानून के तहत पंजीकृत होनी चाहिए तथा उसका समुचित रूप से गठित एक प्रबंधन निकाय होना चाहिए जिसमें उसकी शक्तियां, कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां उसके संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं विहित होनी चाहिए;
2. संगठन को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के लाभ के लिए काम नहीं करना चाहिए;
3. पंजीकरण के बाद उसके पास सामान्यतया तीन साल का अनुभव होना चाहिए;
4. उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए;
5. उसके पास स्कीम, जिसके लिए सहायता मांगी गई है, को शुरू करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, अनुभव और कार्मिक होने चाहिए ।
6. स्वैच्छिक संगठनों को नीति आयोग के एनजीओ पीएस पोर्टल के साथ पंजीकृत होना चाहिए ।

च. स्कीम के घटक तथा सहायता का पैटर्न

स्कीम के निम्नलिखित मुख्य घटक होंगे :

1. **रोकथाम**
2. **बचाव**
3. **पुनर्वास**
4. **पुन:एकीकरण**
5. **प्रत यर्पण**

कार्यान वयन एजेंसियां स कीम के तहत यथाउल लिखित एक या अधिक घटकों के लिए सहायता प्राप त कर सकती हैं । **किसी खास घटक (घटकों) के लिए आवेदन करते समय कार्यान वयन एजेंसियों को विशिष ट घटकों का चयन करने के लिए औचित य तथा परियोजनाओं के स थान का ब यौरा प्रदान करना चाहिए ।**

टिप पणी : कार्यान वयन एजेंसी को परियोजना लागत का 10% वहन करना होगा ।

छ. स कीम के घटकों का विवरण

सहायता निम नलिखित के लिए प्रदान की जाएगी :

1. **रोकथाम**

1.1 सामुदायिक सतर्कता समूहों का गठन और संचालन

(रोकथाम घटक के तहत गठित प्रत येक सामुदायिक सतर्कता समूह में संबंधित पंचायत / नगर निगम, जैसा भी मामला हो, जहां परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, द्वारा यथा-संस तुत / नामित एक महिला शामिल होनी चाहिए)

1.2 संवेदीकरण कार्यशालाएं/सेमीनार

ग्राम पंचायत / नगर निगम, जैसा भी मामला हो, के प्रतिनिधियों को भी सभी संवेदीकरण कार्यशालाओं / सेमिनारों में आमंत्रित किया जाना चाहिए ।

1.3 कला जत था, नुक कड़ नाटक, कठपुतली शो सहित जन संचार माध यम के जरिए अथवा किसी अन य कलात मक रूप में, वरीयत: परंपरागत ढंग से जागरुकता सृजन

1.4 पैम्फलेट्स, लीफलेट्स और पोस टर (स थानीय भाषाओं में) जैसी जागरुकता सृजन सामग्रियों का विकास एवं मुद्रण ।

(कार्यान वयन एजेंसियों को ग्राम सभा की बैठकों में भी आईईसी सामग्री का वितरण करना होगा)

घटक (रोकथाम)		**वार्षिक बजट (कार्यान वयन एजेंसी का 10% शेयर सहित) (रुपये में)**
1.1	**सामुदायिक सतर्कता समूह का गठन एवं संचालन (न यूनतम 3 सामुदायिक सतर्कता समूह)**	
क.	गठन	6,000
ख.	पोषण (मासिक बैठक, पत्राचार, परिवहन आदि)	18,000
1.2	**संवेदीकरण कार्यशालाएं/सेमीनार (दो दिवसीय)**	
क.	स थल किराए पर लेना	5,000
ख.	संचार	1,000
ग.	संसाधन व यक्ति त	2,500
घ.	लंच एवं नाश ता (कम से कम 30 प्रतिभागी x 100/-रु0 x 2 दिन)	6,000
ड.	संसाधन सामग्री	2,000
च.	प्रतिभागियों के लिए टीए/डीए	3,000
1.3	**कला जत था, नुक कड़ नाटक, कठपुतली शो सहित जन संचार माध यम के जरिए अथवा किसी अन य कलात मक रूप में, वरीयत: परंपरागत ढंग से जागरुकता सृजन**	

क.	नाटक खेलना (2500/-रु0 x 10 नाटक की दर से यात्रा, लॉजिंग/बोर्डिंग, प्रचार सहित)	25,000
1.4	**पैम्फलेट्स, लीफलेट्स और पोस्टर (स्थानीय भाषाओं में) जैसी जागरुकता सृजन सामग्रियों का विकास एवं मुद्रण**	31,500
	कुल	**1,00,000**

2. **बचाव**

2.1 **सूचना एकत्र करना** : दुर्व्यापार में शामिल लोगों, संदिग्ध व्यक्तियों तथा असुरक्षित परिवारों पर सूचना एकत्र करने के लिए पुलिस, एनजीओ, महिला समूहों, युवा समूहों, पंचायतों, होटलों तथा टूर-ऑपरेटरों आदि के नेटवर्क के गठन के माध्यम से ।

2.2 **बचाव कार्य** : स्कीम निम्नलिखित का प्रावधान करेगी –
क. नकली ग्राहकों/मुखबिरों को प्रोत्साहन;
ख. बचाव के स्थान से आश्रय गृह तक पीड़ित (पीड़ितों) के परिवहन की लागत;
ग. आरंभिक प्रलेखन ।

2.3 **बचाव पर तात्कालिक राहत** : स्कीम बचाव तथा संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने की अंतरिम अवधि के दौरान भोजन, आश्रय, प्रसाधन सामग्री, वस्त्र, ट्रॉमाकेयर/परामर्श, चिकित्सा सहायता आदि उपलब्ध कराएगी ।

घटक – 2 (बचाव)		**वार्षिक बजट (कार्यान्वयन एजेंसी का 10% शेयर सहित) (रुपये में)**
2.1	सूचना एकत्र करना – संचार	6,000
2.2	**बचाव कार्य**	
क.	मुखबिर	5,000
ख.	परिवहन	2,000
ग.	प्रलेखन, रिपोर्ट आदि दाखिल करना	500
2.3	**बचाव पर तात्कालिक राहत**	
क.	बुनियादी सुविधाएं	5,000
ख.	चिकित्सा सहायता	5,000
	कुल	**23,500**

3. पुनर्वास

3.1 **संरक्षी एवं पुनर्वास (पीएंडआर) गृहों की स्थापना** – पीएंडआर गृह एजेंसी द्वारा स्थापित किए जाएंगे ।

3.2 **बुनियादी सुविधाएं** – बुनियादी सुविधाएं जैसे कि भोजन, कपड़ा तथा निजी प्रयोग की अन्य वस्तुएं प्रदान करने के लिए ।

3.3 **चिकित्सा देखरेख** – इस स्कीम में डाक्टर की फीस, दवाओं की लागत, अस्पताल में भर्ती होने की लागत, नशामुक्ति केंद्रों से उपयुक्त सहलग्नता के लिए प्रावधान होगा । चूंकि, दुर्व्यापार के पीड़ित भयंकर मनोवैज्ञानिक आघात से गुजरते हैं इसलिए किसी योग्य नैदानिक मनोवैज्ञानिक तथा मनोरोग चिकित्सक के माध्यम से पेशेवर परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी ।

3.4 **कानूनी सहायता** – चूंकि पीड़ित दुव्‍यापार करने वाले व्‍यक्ति/दलाल/जालसाज़ के विरूद्ध मुख्‍य गवाह होते हैं, अथवा संपत्ति के अपने अधिकार, वैवाहिक अधिकारों, तलाक, गुजारा भत्ता और बच्चों की अभिरक्षा का दावा करने के लिए उनको कानूनी सहायता प्रदान करने की जरूरत होगी जिसके तहत न्‍यायिक कार्य तथा पीड़ित के न्‍यायिक मामले से संबंधित प्रलेखन शामिल होगा ।

3.5 **प्रशासनिक लागत** - परियोजना से उत्पन्न छोटे-मोटे खर्चों में मदद करने के लिए ।

3.6 **शिक्षा** – चूंकि बचाए गए पीड़ितों में ज्‍यादा अनुपात बच्चों का होता है इसलिए उनको औपचारिक या मुफ्त शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की जरूरत होगी जिसके लिए पाठ्यपुस्तक, नोट बुक, लेखन सामग्री, स्‍कूल की वर्दी तथा अन्‍य आनुषंगिक व्‍यय पर कुछ धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है ।

3.7 **व्‍यावसायिक प्रशिक्षण तथा आय अर्जन की गतिविधियां** – पीड़ित के पूर्णतया पुनर्वास के लिए जीविका के वैकल्पिक विकल्‍प प्रदान करना आवश्‍यक है । इसलिए व्‍यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

घटक – 3 (पुनर्वास)		वार्षिक बजट (कार्यान्‍वयन एजेंसी का 10% शेयर सहित) (रुपये में)
3.1	संरक्षी गृहों की स्‍थापना (50 पीड़ित)	
क.	किराया*	
	क श्रेणी के शहर (दिल्‍ली, मुम्‍बई, कोलकाता, चेन्‍नई, बैंगलौर और हैदराबाद) (40,000/-रु0x12 माह)	4,80,000
	ख श्रेणी के शहर (शेष भारत) (30,000/-रु0x12 माह)	3,60,000
ख.	**स्‍टाफ#**	
	परियोजना निदेशक (10,000/-रु0 x 1 x 12 माह)	1,20,000
	सामाजिक कार्यकर्ता (2) (6,000/-रु0 x 2 x 12 माह)	1,44,000
	नैदानिक मनोरोग चिकित्‍सक (6,000/-रु0 x 1 x12 माह)	72,000
	लिपिक-सह-लेखाकार (5,000/-रु0 x 1 x12 माह)	60,000
	गार्ड (2) (5,000/-रु0 x 2 x 12 माह)	1,20,000
	डॉक्‍टर (अंशकालिक) (6,000/-रु0 x 12 माह)	72,000
	मनोरोग चिकित्‍सक (अंशकालिक) (6,000/-रु0 x 12 माह)	72,000
ग.	फर्नीचर, बर्तन, चादरें, लॉकर आदि (अनावर्ती)	1,50,000
घ.	बिजली एवं पानी (3,000/-रु0 x12 माह)	36,000
3.2	**बुनियादी सुविधाएं**	
क.	भोजन (1300/-रु0 x 50 लड़कियां x 12 माह)	7,80,000
ख.	वैयक्तिक (175/-रु0 x 50 लड़कियां x 12 माह) जैसे कि कपड़े, प्रसाधन सामग्री, सेनेटरी सामग्री आदि	1,05,000
3.3	**चिकित्‍सा देखरेख** (आपातकालिक देखरेख सहित दवाएं) (200/-रु0 x 50 x12 माह)	1,20,000
3.4	**कानूनी सहायता** (न्‍यायिक कार्य तथा प्रलेखन) (200/-रु0 x 12 x 50)	1,20,000
3.5	**प्रशासनिक सहायता**	10,500
3.6	**शिक्षा**	
क.	औपचारिक स्‍कूल (सहायता-200/-रु0 x 12 x 30 पीड़ित)	72,000
3.7	**व्‍यावसायिक प्रशिक्षण तथा आय अर्जन की गतिविधियां** (सहायता-5,000/-रु0 x 20 पीड़ित)	1,00,000
3.8	**फ्लैक्‍सी फंड @**	10,000
	कुल : श्रेणी 'क' शहर	**26,43,500**
		25,23,500

	श्रेणी 'ख' शहर	

*राज्य पीडब्ल्यूडी से किराया निर्धारण प्रमाण पत्र के अधीन

#जहां संभव हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/अल्पसंख्यकों के पात्र सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है ।

@ पीडित के पीएंडआर होम से उसके गृह राज्य में स्थित पीएंडआर होम तक परिवहन पर होने वाला व्यय इस शीर्ष के तहत खर्च किया जा सकता है । व्यय का प्रमाण जैसे रेलगाड़ी की टिकट / बस टिकट आदि इस शीर्ष के तहत व्यय को स्वीकारने के लिए आवश्यक है ।

^ क्रियान्वयन एजेंसिया के लिए केवल मान्यताप्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा । ऐसे मामलों में जहाँ ऐसे संस्थान व्यावसायिक प्रशिक्षण देने में असमर्थ हों, तो कार्यान्वयन एजेंसियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ।

4. पुन:एकीकरण

4.1 हाफ-वे गृह की स्थापना – हाफ-वे गृह समुदाय के अंदर एक गृह होता है जहां पुन:एकीकरण के लिए तत्पर पीड़ितों का समूह रहता है और इस स्थल से बाहर काम करता है । यह पीएंडआर गृह में जीवन से समुदाय में स्वतंत्र जीवन-यापन के लिए अबाध पारगमन को सुगम बनाने के लिए है । हाफ-वे गृह पीड़ितों के ऐसे समूह के लिए होता है जो लाभप्रद ढंग से रोजगार प्राप्त होते हैं और न्यूनतम पर्यवेक्षण के साथ अर्द्धस्वतंत्र ढंग से जीवन-यापन कर सकते हैं । यह समुदाय में पुन:एकीकरण की दिशा में एक चरणबद्ध दृष्टिकोण है ।

4.2 परिवारों में मिलाना – स्कीम गंतव्य क्षेत्र से पीड़ित के गृह नगर/गांव तक पीड़ित और एक हमराही की यात्रा का खर्च, उसकी यात्रा के दौरान उसके भोजन पर होने वाले खर्च तथा आनुषंगिक खर्चों को वहन करेगी ।

घटक – 4 (पुन:एकीकरण)		**वार्षिक बजट (कार्यान्वयन एजेंसी का 10% शेयर सहित) (रुपये में)**
4.1	**हाफ-वे गृह की स्थापना (10-15 पीड़ितों के लिए)***	
क.	हाफ-वे गृह का किराया (6000/-रुपयेx12)	72,000
ख.	फर्नीचर/बर्तन आदि (एकबारगी, अनावर्ती)	10,000
4.2	**परिवारों में मिलाना**	
क.	सीड मनी (5000/-रुपयेx5 पीड़ित)	25,000
ख.	पीड़ित एवं हमराही के लिए परिवहन (1000/-रुपयेx2x5 पीड़ित)	10000
ग.	दो यात्राओं सहित नेटवर्किंग/अनुवर्तन (1500/-रुपयेx5 पीड़ित)	7500
	कुल	**1,24,500**

*राज्य पीडब्ल्यूडी से किराया निर्धारण प्रमाण पत्र के अधीन

5. प्रत्यर्पण (सीमा-पारीय)

5.1 प्रत्यर्पण की प्रक्रियाओं को सुगम बनाना – स्कीम पीड़ित के लिए प्रत्यर्पण आदेश प्राप्त करने हेतु विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने में हुए व्यय के लिए प्रावधान करेगी ।

5.2 मूल देश में प्रत्यर्पण – स्कीम गंतव्य क्षेत्र से उसके मूल देश या बार्डर तक सीमा-पारीय पीड़ित के यात्रा व्यय, उसकी यात्रा के दौरान उसके भोजन पर हुए व्यय तथा आनुषंगिक व्यय को वहन करेगी ।

घटक – 5 (प्रत्यर्पण – सीमा-पारीय) केवल उन्हीं एजेंसियों पर लागू है	**वार्षिक बजट (कार्यान्वयन**

जिनके पास सीमा-पारीय दुव्‍यापार के पीड़ित हैं		एजेंसी का 10% शेयर सहित) (रुपये में)
5.1	प्रत्‍यर्पण की प्रक्रियाओं, संचार एवं प्रलेखन को सुगम बनाना	5000
5.2	मूल देश में प्रत्‍यर्पण (भोजन एवं अन्‍य आनुषंगिक व्‍यय सहित पीड़ित एवं हमराही का परिवहन)	20,000
	कुल	**25,000**

स्‍कीम के सभी घटकों के तहत अनुदान का संक्षिप्‍त विवरण:

क्र.सं.	घटक का नाम	घटक के लिए कुल बजट (कार्यान्‍वयन एजेंसी का 10% शेयर सहित) (रुपये में)		
		आवर्ती		अनावर्ती
		श्रेणी क शहर	श्रेणी ख शहर	श्रेणी क एवं ख शहरों के लिए
1.	रोकथाम	100000	100000	--
2.	बचाव	23500	23500	--
3.	पुनर्वास	2493500	2373500	1,50,000
4.	पुन:एकीकरण	114500	114500	10,000
5.	प्रत्‍यर्पण–सीमा-पारीय	25000	25000	--
	कुल	**2756500**	**2636500**	**160000**
परियोजना के सभी घटकों के लिए कुल बजट (आवर्ती+अनावर्ती)		**2916500**	**2796500**	

ज. स्‍कीम के अन्‍तर्गत् नई परियोजना की स्‍वीकृति

क) राज्‍य सरकारें, राज्‍य में अपेक्षित नई परियोजनाओं की संख्‍या का अनुमान लगाएगी और औचित्‍य सहित उसे प्रत्‍येक वर्ष के 30 सितम्‍बर तक स्‍कीम के प्रभारी संयुक्‍त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्‍त्री भवन, नई दिल्‍ली को सूचित करेंगी । बशर्ते संसाधनों की उपलब्‍धता के आधार पर, केन्‍द्रीय सरकार अनुमोदित की जा सकने वाली परियोजनाओं की संख्‍या सूचित करेगी तथा आगामी वित्‍तीय वर्ष के बजट में आवश्‍यक प्रावधान करेगी ।

ख) राज्य सरकारें, पात्र संगठनों से आवेदन आमंत्रित कर सकती हैं और मानदंडों को पूरा करने वाले प्रस्तावों को संबंधित राज्य / संघ राज्‍य क्षेत्रों के सचिव (डब्ल्यूसीडी) की अध्यक्षता में परियोजना स्‍वीकृति समिति (पीएससी), जिसमें राज्य सरकारें / संघ राज्‍य क्षेत्र के प्रशासन जैसाभी निर्धारित करें, किसी अन्य प्रतिनिधि के अलावा राज्य / संघ राज्‍य क्षेत्र की सरकार के वित्त और श्रम विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे, के समक्ष रखा जा सकता है

उज्‍जवला स्‍कीम के लिए अनुदान राशि प्रथमत: तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए मंजूर की जाएगी । तीन वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्‍वयन के बाद, परियोजना स्‍वीकृति समिति इसे आगे जारी रखने का या अन्‍यथा इसके निष्‍पादन तथ आवश्‍यकता के आधार पर निर्णय कर सकती है ।

झ. अनुदान निर्मुक्‍त करने के लिए प्रक्रिया

राज्‍य सरकारें/ संघ राज्‍य क्षेत्र के प्रशासन निम्‍नानुसार क्रियान्‍वयन एजेंसियों को अनुदान जारी करेंगे :

(i) सहायता उज्‍जवला योजना के लिए मांगी गई है, अनुदान राशि प्रत्‍येक वर्ष दो बराबर किस्तों में रिलीज की जाएगी । पहली किस्त सामान्‍यतया परियोजना की मंजूरी के साथ ही जारी कर दी जाएगी । गैर-आवर्ती मदों के लिए एक-बारगी अनुदान राशि पहली किस्त के साथ जारी कर दी जाएगी ।

सहायता अनुदान (जीआईए) जारी करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कार्यान्वयन संगठन नीति आयोग के एनजीओ पोर्टल के साथ पंजीकृत है ।

(ii) दूसरी तथा आगामी किस्त, क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा यह प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही जारी की जाएंगी कि उसने पिछली किस्त की राशि उस प्रयोजन के लिए खर्च कर दी है जिसके लिए यह मंजूर की गई थी । दूसरी और तदुपरांत किस्त की निर्मुक्ति के लिए अनुरोध के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न किए जाएंगे ।

क) पिछली किस्त का उपयोग प्रमाण पत्र तथा खर्च हुए वास्तविक व्यय का समेकित अद्यतन विवरण

ख) राज्य प्रशासन द्वारा उज्ज्वला स्कीम तथा लाभार्थियों का ब्यौरा देते हुए निरीक्षण रिपोर्ट

ञ. केंद्र सरकार द्वारा अनुदान की निर्मुक्ति

केंद्र सरकार, राज्यों और क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों के बीच निधियों की निर्मुक्ति की निधियन पद्धति 60:30:10 के अनुपात में होगी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयन राज्यों के संबंध में निधियन क्रमश: 80:10:10 के अनुपात में होगा तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मामलों में केंद्र सरकार और क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों के बीच यह अनुपात 90:10 होगा । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की निर्मुक्ति हर वर्ष दो किस्तों में की जाएगी । वर्ष में किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटन के बारे में निर्णय प्रचालित परियोजनाओं, वर्ष के दौरान संभावित नई परियोजनाओं की संख्या और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । आबंटित अनुदान के 50% की पहली किस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास बची शेष राशि की कटौती करने के पश्चात वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निर्मुक्त की जाएगी । पहली किस्त की राशि का 60% व्यय हो जाने के बाद दूसरी किस्त निर्मुक्त की जाएगी । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को व्यय का अर्धवार्षिक विवरण भेजने की अपेक्षा की जाती है ।

ट. स्कीम के मानकों का अनुपालन न करना तथा अन्य उल्लंघन

(i) सरकारी अनुदान से बनाई गई सभी परिसंपत्तियां भारत सरकार को लौटाई जाएंगी अथवा खर्च राशि क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी । इसके अलावा, यदि आवश्यक हुआ तो प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी ।

(ii) इसके अतिरिक्त, सिविल सोसायटी समूहों/सार्वजनिक न्यासों/सहकारिताओं/निगमित निकायों द्वारा निधियों के किसी प्रकार के दुरुपयोग के मामले में राज्य सरकार दोषी क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के विरूद्ध एफआईआर दाखिल करके आपराधिक मामला चलाएगी तथा अनुदान की निर्मुक्ति से पूर्व भरे जाने वाले बांड में सहमति के अनुसार जुर्माने की ब्याज दर के साथ अनुदान की वसूली के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी ।

(iii) यदि क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण प्राप्त वित्तीय सहायता का दुरुपयोग करता है अथवा उज्ज्वला परियोजना भवन का किसी अन्य प्रयोजनार्थ गलत इस्तेमाल करता है तो मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को अथवा राज्य सरकारों को स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त अनुदान से बनाई गई उज्ज्वला परियोजना परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा ।

(iv) स्कीम के उपबंधों के गंभीर उल्लंघन जैसे झूठे रिकार्ड तैयार करना, प्रबंधन के सदस्यों और कर्मचारियों द्वारा संवासिनों के यौन, मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न सहित गैर-कानूनी गतिविधियां चलाना, के परिणामस्वरूप क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई करने के साथ-साथ अनुदान को रोक दिया जाएगा और अभिकरण को काली सूची में डाल दिया जाएगा ।

ठ. बीच की अवधि में प्रावधान

(i) नए दिशानिर्देशों के लागू होने की तारीख को प्रचालित सभी मौजूदा उज ज वला परियोजनाएं नए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रचालित होंगी । राज य सरकारें/संघ राज य क्षेत्र प्रशासन इन परियोजनाओं के प्रचालन की आवश यकता का मूल यांकन करेंगे और उन हें आगे जारी रखने या अन यथा के संबंध में कार्रवाई करेंगे ।

(ii) नए दिशानिर्देश लागू होने से पूर्व प्रतिबद्ध देयताओं की गणना संशोधन-पूर्व मानकों के अनुसार की जाएगी और क्रियान वयनकर्ता अभिकरण को उनकी प्रतिपूर्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज य सरकारों/संघ राज य क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिश तथा क्रियान वयनकर्ता अभिकरण द्वारा अपेक्षित दस तावेज़ प्रस तुत करने पर की जाएगी ।

स कीम की निगरानी

I. एजेंसी को अनुदान की सततता राज य सरकार/संघ राज य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सूचित संतोषप्रद निष पादन पर आधारित होगी । इसके अलावा, प्रस ताव है कि आवधिक आधार पर निरीक्षण किया जाएगा । प्रतिष ठित संस थाओं, पंचायती राज संस थाओं, ब लॉक स तरीय संस थाओं, जिला स तरीय संस थाओं द्वारा भी अलग से परियोजना के आवधिक मूल यांकन किए जाएंगे ।

II. **राज य स तर पर निगरानी**

राज य सरकार/संघ राज य क्षेत्र प्रशासन में समाज कल याण/महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी सचिव स कीम के लिए राज य स तरीय/यूटी प्रशासन निगरानी समिति के अध यक्ष होंगे । सचिव द्वारा समिति के अन य सदस य नामित किए जाएंगे । राज य/संघ राज य क्षेत्र प्रशासन स तर पर समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी तथा परियोजना की निगरानी की जाएगी ।

III. **केंद्र स तर पर निगरानी**

क) स कीमों से संबंधित प्रभाग स कीम पर निगरानी रखेगा और आवश यकता पड़ने पर राज य सरकार के प्रतिनिधि को सहयोजित करेगा ।

ख) मंत्रालय जहां आवश यक होगा, पीएंडआर गृह/हॉफ वे गृह का निरीक्षण कराएगा ।

ग) केंद्र सरकार निगरानी और आई्इसी गतिविधियों के लिए वार्षिक परिव यय के 5% से अधिक राशि व यय नहीं कर सकती, जिसमें से 3.5% केंद्रीय स तर पर व यय के लिए होगा और 1.5% मंत्रालय द्वारा उज ज वला गृहों पर कारगर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे, कम प यूटर तथा आवश यक उपकरण लगाने के लिए क्रियान वयनकर्ता अभिकरण को अनावर्ती सहायतानुदान देने के लिए होगा ।

अनुलग्‍नक

अनुलग्‍नक-I : एजेंसी के लिए आवेदन पत्र

भाग क : एजेंसी का ब्‍यौरा

भाग ख : प्रस्‍ताव का ब्‍यौरा

भाग ग : संलग्‍न किए जाने वाले दस्‍तावेज़ों की सूची

अनुलग्‍नक-II

भाग क : संस्‍वीकृति पूर्व मूल्‍यांकन रिपोर्ट के लिए प्रारुप, जिसे संस्‍वीकृति पूर्व मूल्‍यांकन के लिए राज्‍य सरकार/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन के निरीक्षण अधिकारी द्‍वारा भरा जाएगा ।

भाग ख : राज्‍य सरकार/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन द्‍वारा सिफारिश

अनुलग्‍नक-III

भाग क : सनदी लेखाकार द्‍वारा उपयोग प्रमाण पत्र

भाग ख : सनदी लेखाकारों/सरकारी लेखा परीक्षकों के लिए दिशानिर्देश

अनुलग् नक-I

आवेदन पत्र

नोट 1. आवेदन संबंधित राज् य सरकार अथवा संबंधित राज् य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जाए।

भाग – क: एजेंसी के लिए (ब् यौरा)

1. एजेंसी के प्रधान कार्यालय का नाम और डाक का पूरा पता (स् पष् ट अक्षरों में)
जिला (स् पष् ट अक्षरों में) : राज् य (स् पष् ट अक्षरों में) : पिन कोड

2. एसटीडी कोड के साथ दूरभाष नं. :

3. फैक् स नं. :

4. ई-मेल:

5. क् या एजेंसी की उप विधि सरकारी अनुदान प्राप् त करने और प्रस् तावित परियोजना क्षेत्र में महिला कार्यक्रमों का क्रियान् वयन करने की अनुमति देती हैं ?

6. संगठन के उद्देश् य :

7. संगठन का संक्षिप् त वृत् तांत (एक पैराग्राफ में)

8. क् या भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI)/न् यास अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यदि हां, तो पंजीकरण संख् या एवं तारीख का उल् लेख करें।

9. क् या एजेंसी अखिल भारतीय स् वरूप की है? यदि हां, तो राज् य शाखा सहित विभिन् न राज् यों में अपनी शाखाओं के, जो गतिविधियां चलाएंगी, पते, दूरभाष नं., फैक् स नं., ई-मेल आदि दें।

10. क् या संगठन अपने निजी/किराए के भवन में स्थित है :

11. एजेंसी की विगत तीन वर्षों की प्रमुख गतिविधियां :

गविविधि का नाम व वर्ष	कवरेज	व् यय	पुरुष	महिलाएं	बच् चे

12. **विगत तीन वर्षों में एजेंसी की वित् तीय स्थिति का सार (रुपये लाखों में)**

वर्ष	**आय एवं व् यय के खाते**	**प्राप्ति एवं भुगतान के खाते**	**अधिशेष**	**कमी**

13. विगत तीन वर्षों में केंद्र सरकार/राज् य सरकार और अन् य सरकारी एजेंसियों से प्राप् त अनुदान का ब् यौरा (रुपये लाखों में)

वर्ष	संस् वीकृति आदेश सं.	तारीख	राशि	स् कीम	निधियन करने वाली एजेंसी का

					पता

14. विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशी अंशदान का ब यौरा :

देश	एजेंसी	प्रयोजन	राशि

*कृपया सूचित करें कि क या भारत सरकार की पूर्व अनुमति ली गई थी। अनुमोदन पत्र की प्रति संलग न करें।

15. एजेंसी के पदाधिकारियों का ब यौरा :

क्र.सं.	**नाम व पता**	**पुरूष/महिला**	**आयु**	**पद**	**योग यता**	**व यवसाय**	**वार्षिक आय**

16. एजेंसी के कर्मचारियों का ब यौरा :

क्र.सं.	**नाम व पता**	**पुरूष/महिला**	**आयु**	**अंशकालिक/ पूर्णकालिक**	**योग यता**	**पद**	**वार्षिक आय**

17. एजेंसी की प्रबंधन समिति के सदस यों का ब यौरा :

क्र.सं.	**नाम व पता**	**पुरूष/महिला**	**आयु**	**योग यता**	**व यवसाय**	**मासिक आय**

भाग- ख : प्रस ताव

परियोजना प्रस ताव बजट (स कीम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार) और उनमें अलग-अलग विवरण के साथ-साथ निम नलिखित फार्मेट में प्रस तुत किया जाए।

1. घटक - निवारण

निवारक घटक के अंतर्गत गतिविधियां उन क्षेत्रों के लिए होती हैं, जो महिलाओं एवं बच चों के अवैध व यापार के लिए संवेदनशील होती हैं। कृपया यह सुनिश चित करें कि आपके द्वारा प्रस तावित गतिविधियां अभिनव हों और स कीम में रेखांकित उद्देश यों एवं अभिप्रायों को हासिल करेंगी।

उन एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो स्रोत/पारगमन क्षेत्रों में सि थत होंगी । प्रस ताव में मांगी गई निम नलिखित जानकारी सांकेतिक हैं और एजेंसी उपरोक त के अलावा निम नलिखित सूचना प्रदान कर सकती है :

1.1 सामुदायिक सतर्कता समूहों का गठन एवं कार्यकरण (कम से कम तीन सामुदायिक सतर्कता समूह)

क. राज य का नाम
ख. जिले का नाम
ग. ब लॉकों/गावों का नाम, जहां गतिविधि चलाए जाने का प्रस ताव है। परियोजना क्षेत्र का चयन करने का औचित य बताएं।
घ. गठन के लिए प्रस तावित सामुदायिक सतर्कता समूहों की कुल संख या
ड. क्रियाविधि, जो सामुदायिक सतर्कता समूहों के गठन के लिए अपनाई जाएगी।
च. सामुदायिक सतर्कता समूहों के साथ शुरू की जाने वाली प्रस तावित गतिविधियां। कृपया औचित य बताएं कि ये गतिविधियां सामुदायिक सतर्कता समूहों को सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता बनने में कैसे मदद करेंगी ।

1.3 संचेतना कार्यशालाएं/संगोष्ठियां

क. स थान का नाम जहां गतिविधि प्रस तावित है।
ख. प्रस तावित संचेतना कार्यशालाओं/संगोष्ठियों की संख या
ग. अवधि
घ. प्रस तावित कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के उद्देश य
ड. लक्षित समूह
च. प्रतिभागियों की संख या

1.4 कालाजथा, नुक कड़ नाटकों, कठपुतली के शो सहित जनप्रचार माध यमों अथवा कला के किन हीं अन य रूपों, अधिमानत: परंपरागत रूपों के माध यम से जागरूकता विकास

क. स थान का नाम, जहां गतिविधि प्रस तावित है। स थान का चयन करने का औचित य बताएं
ख. प्रस तावित जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख या एवं प्रकार
ग. अवधि
घ. प्रस तावित जागरूकता विकास कार्यक्रम के उद्देश य
ड. लक्षित समुह
च. जागरूकता विकास कार्यक्रम का विस तृत ब यौरा एवं प्रस तावित क्रियाविधि

1.5 जागरूकता विकास सामग्री जैसे कि पर्चियां, लीफलेट्स एवं पोस टरों का विकास और मुद्रण

क. सामग्री की जरूरत सहित विकसित की जाने वाली सामग्री का ब यौरा और कार्यान वयनकर्ता एजेंसी सामग्री का विकास कैसे करेगी।
ख. सामग्री की भाषा (एं) (स थानीय भाषा)
ग. प्रतियों की संख या
घ. विषय का ब यौरा
ड. लक्षित समूह
च. उपयोग एवं प्रसार की क्रियाविधि

2. बचाव घटक

बचाव घटक के अंतर्गत गतिविधियां केवल उन कार्यान वयनकर्ता एजेंसियों पर लागू होती हैं जो शोषण के स थान से महिला एवं बच चों के बचाव में जुड़ी होती हैं
प्रस ताव में मांगी गई निम नलिखित जानकारी सांकेतिक है एजेंसी उपरोक त के अलावा निम नलिखित सूचना प्रदान कर सकती है:

2.1 सूचना एकत्रित करना (सूचना एकत्रित करने के लिए प्रस तावित कार्यविधि)

2.2 बचाव अभियान (कार्यविधि, नेटवर्क और कार्यान वयनकर्ता एजेंसी का स थानीय प्रधिकारियों, पुलिस आदि से संबंध)

2.3 तत काल सहायता (बुनियादी सुविधाएं एवं चिकित सा सहायता)

3. पुनर्वास घटक

प्रस ताव में मांगी गई निम नलिखित जानकारी सांकेतिक है एजेंसी उपरोक त के अलावा निम नलिखित सूचना प्रदान कर सकती है:

3.1 संरक्षण एवं पुनर्वास (पी एण ड आर) गृहों की स थापना

क. गृह (पी एण ड आर) को, जो महिलाओं एवं बच चों को पुनर्वास आश्रय प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन हें अलग-अलग रखा जाए जब तक कि बच चे अपनी मां के साथ न हों।

i. संरक्षण एवं पुनर्वास गृह के स थान का पूरा पता

जिला :
ब लॉक:
पिन कोड :
एसटीडी कोड के साथ दूरभाष नं. :

ii. क या स थान जिला मुख यालय, ब लॉक मुख यालय, तहसील मुख यालय अथवा गांव है:
iii. आश्रय के लिए उपलब ध आवास :

- कमरों की संख या
- कुल क्षेत्र (वर्ग फुट) रसोई
- शौचालयों की संख या
- भण डार गृह
- बरामदा
- मनोरंजन कक्ष
- खुला स थान
- प्रशिक्षण कक्ष
- कार्यालय के लिए स थान

iv क या यह किराया मुक त आवास है:

v यदि नहीं, आवास के लिए प्रस तावित किराया (किराए के अभिलेख की प्रति संलगन करें):

vi लाभार्थियों की संख या

महिलाएं		**दुव र्यापार किए गए बच चे (18 वर्ष से कम आयु के)**	
महिलाओं की संख या	बच चों के साथ रहने वाली महिलाओं की संख या	पुरुष	महिला

ख. कर्मचारी

- परियोजना निदेशक
- सामाजिक कार्यकर्ता

- क्लिनिकल मनौवैज्ञानिक
- लिपिक सह लेखाकार
- गार्ड (2)
- चिकित् सक(अंशकालिक)
- मनोचिकित् सक (अंशकालिक)

ग. फर्नीचर, बर्तन, लिनेन आदि (अनावर्ती)

घ. बिजली एवं पानी

3.2 बुनियादी सुविधाएं

क. भोजन
ख. व् यक्तिगत

3.3 चिकित् सा देखरेख

3.4 कानूनी सहायता

3.5 प्रशासनिक सहायता

3.6 शिक्षा

3.7 व् यावसायिक प्रशिक्षण एवं आयोत् पाद क गतिविधियां (ब् यौरा दें जैसे कि व् यावसायिक प्रशिक्षण के लिए व् यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की किस् म और प्रस् तावित आयोत् पादक गतिविधि)

4. घटक : पुनर्समेकन

यह घटक केवल उन क्रियान् वयन एजेंसियों के लिए लागू होगा जो अवैध व् यापार के पीडितों के लिए पुनर्वास संबंधी कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। प्रस् ताव में मांगी गई निम् नलिखित सूचना निर्देशात् मक है तथा एजेंसी निम् नलिखित के अतिरिक् त सूचना दे सकती है। :-

4.1 हाफ-वे-होम को तैयार करना

क्रियान् वयन एजेंसी द्वारा हाफ-वे-होम तभी स् थापित किए जाएंगे कि जब अधिकांश पीडित महिलाएं पी एण ड आर गृह छोडनें के लिए तैयार हों और रोजगार तथा व् यावसायिक कार्यकलाप करती हो और स् वयं को वित् तीय दृष्टि से संपोषित कर सकती हों । यह पी एण ड आर गृह के लिए प्रतिस् थानी के रूप में आपूर्ति करने के लिए तैयार नहीं किए जाएंगे।

i. हाफ-वे-होम के प्रस् तावित स् थान का पूरा पता

जिला:
ब् लॉक:
पिनकोड:
दूरभाष संख या एसटीडीकोड के साथ:

ii. क या स्‍ थान जिला मुख्‍ यालय, ब्‍ लॉक मुख्‍ यालय, तहसील मुख्‍ यालय अथवा गांव है

iii. हाफ-वे-होम के लिए उपलब्‍ ध आवास :-

- कमरों की संख्‍ या
- कुल क्षेत्र (वर्गफुट) रसोई
- शौचालयों/स्‍ नानगृहों की संख्‍ या
- बरामदा

iv क्‍ या यह किराया मुक्‍ त आवास है:

v यदि नहीं तो हाफ-वे-होम का प्रस्‍ तावित किराया (किराए विलेख की प्रति संलग्‍ न करें)

ख. फर्नीचर/बर्तन आदि (अनावर्ती)

4.2 परिवारों में पुन: प्रतिष्ठित करना

क - ब्‍ यौरे

- पुन: प्रतिष्ठित किए जाने वाले लाभान्वितों की संख्‍ या
- कार्यान्‍ वयन एजेंसी एक बार पुन: प्रतिष्ठित किए गए पीडितों के हितों के अनुवर्तन के लिए किस प्रकार की योजना बना रही है?

ख- प्रारंभिक राशि

ग- पीड़ित तथा एस्‍ कार्ट के लिए परिवहन

घ- नेटवर्किंग/अनुवर्ती कार्रवाई

5. देश-प्रत्‍ यावर्तन - घटक

उपर्युक्‍ त घटक केवल उन कार्यान्‍ वयन एजेंसियों के लिए ही प्रयोज्‍ य है जो सीमा के पार अवैध व्‍ यापार के पीड़ितों के देश-प्रत्‍ यावर्तन में शामिल हैं। प्रस्‍ तावित करते समय, कार्यान्‍ वयन एजेंसी स्‍ वंय द्वारा कार्यान्वित देश प्रत्‍ यावर्तन कार्यकलाप के ब्‍ यौरे उपलब्‍ ध कराएगी।

5.1 देश प्रत्‍ यावर्तन प्रक्रिया को सुकर कराना (कार्यान्‍ वयन एजेंसी द्वारा ब्‍ यौरे दिए जाने है)

5.2 मूल देश में प्रत्‍ यावर्तन
क- देश प्रत्‍ यावर्तित किए जाने वाले प्रस्‍ तावित पीडितों की संख्‍ या
ख. परिवहन का तरीका

5.3 पारगमन केंद्रो की स्‍ थापना

क. पारगमन केंद्र का स्‍ थान जिला :
ब्‍ लॉक:
पिनकोड :
दूरभाष संख्‍ या एसटीडीकोड के साथ :

ख. क या स्‍ थान जिला मुख यालय, ब लॉक मुख यालय, तहसील मुख यालय अथवा गांव है?

ग. प्रस्‍ तावित पारगमन केंद्र का प्रकार:

तारीख :

संगठन के सचिव/अध्‍ यक्ष के हस्‍ ताक्षर

भाग (ग) : संलग्‍ न किए जाने वाले दस्‍ तावेजों की सूची:-

1 पंजीकरण प्रमाण-पत्र । यदि क्षेत्रीय भाषा में है, दस्‍ तावेज का प्रामाणिक अंग्रेजी रूपांतर संलग्‍ न करना होगा। यह भी बताएं कि क या प्रमाणपत्र को वार्षिक रूप से नवीकृत किया जाना है।

2. एजेंसी का संविधान/उप-नियम/संघ का ज्ञापन (विवरणिका)।

3. प्रत्‍ येक सदस्‍ य के संक्षिप्‍ त विवरण के साथ प्रबंध बोर्ड के संविधान का गठन।

4. गत 3 वर्षो की वार्षिक रिपोर्ट।

5. गत 3 वर्षो की लेखा परीक्षित रिपोर्ट।

6. किराए के आवास का किराया विलेख।

अनुलग् नक-II

भाग 'क' - संस् वीकृति पूर्व मूल् यांकन रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा

(संलग् न किए गए दिशा-निर्देशों का संस् वीकृति पूर्व मूल् यांकन से पूर्व ध् यान से अवलोकन किया जाए। संस् वीकृति पूर्व मूल् याकंन संबंधित राज् य सरकार नामित अधिकारी द्‌वारा किया जाना चाहिए।)

1. नाम तथा पदनाम :
2. निरीक्षण अधिकारी का पूरा पता :
3. दौरा करने की तारीख तथा समय :
4. एजेंसी का पूरा नाम तथा डाक का पूरा पता :
5. क् या एजेंसी द्‌वारा नाम का बोर्ड सुस् पष् ट रूप से प्रदर्शित किया गया है?
6. क् या आपने एजेंसी के मूल प्रमाणपत्र की जांच की है तथा क् या संतोषजनक है?
7. क् या प्रबंधन समिति के सदस् यों का एक दूसरे से संबंध है? यदि हां तो सदस् यों के नाम तथा उनका संबंध?
8. क् या एजेंसी के पदधारी किसी अन् य ऐजेंसी से सहयोजित है? यदि हां तो उस ऐजेंसी (ऐजेंसियों) के नाम क् या है?
9. क् या एजेंसी में आवेदन पत्र में यथा उल् लिखित स् टॉफ है? यदि नहीं तो कमी निर्दिष् ट करें।

10. क या एजेंसी द्वारा भेजी गई लेखा परीक्षित लेखों की प्रतियां मूल की सत य प्रतियां है?

11. एजेंसी का वर्तमान में बैंक शेष क या है?

12. क या पास बुक में लेखा परीक्षित लेखों में उल्‍ लिखित ऐजेंसी की विभिन्‍ न आय की जमा प्रविष्‍ टयॉ (क्रेडिट एंट्रीज) उपलब्‍ ध है? यदि हां, तो निम्‍ नलिखित आय के लिए पास बुक में कितनी राशि (क्रेडिट) की गई है?

- वर्ष
- दान
- सदस्‍ यों का अंशदान
- माल की बिक्री
- कार्यकलापों से आय
- अनुदान
- सदस्‍ यों से ऋण

13. क या आपके पास संदेह का कोई कारण है कि लेखा परीक्षित लेखों में प्रविष्‍ टयॉ वास्‍ तविक नही है? कृपया उल्‍ लेख करें।

14. एजेंसी द्वार आरंभ किए गए कार्यकलाप जिसके लिए साक्ष्‍ य उपलब्‍ ध था।

15. क या एजेंसी का कोई कार्यकलाप चल रहा है? यदि हां, तो कुछ का दौरा करें तथा उनकी रिपोर्ट दें।

16. लेखा परीक्षित लेखों तथा वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए गए उन कार्यकलापों के नाम दें जिनके लिए कोई साक्ष्‍ य उपलब्‍ ध नहीं है।

17. उन आस्‍ तयों के नामों का उल्‍ लेख करें जिन्‍ हें तुलना पत्र में शामिल किया गया है लेकिन भौतिक जांच के लिए उपलब्‍ ध नहीं है।

18. क या स्‍ थानीय लोगों को एजेंसी और इसके कार्यकलापों के बारे में जानकारी है?

19. क या स्‍ थानीय लोगों की एजेंसी के बारे में क या राय है?

20. क या आपको निधियों के किसी दुरूपयोग अथवा कोई शिकायत जिसमें एजेंसी शामिल है, के बारे में काई जानकारी प्राप्‍ त हुई है।

21. आपकी राय में क या एजेंसी आवेदित परियोजना को कार्यान्‍ वत करने में सक्षम है? कृपया कारण बताएं।

22. आपकी राय में, क या प्रतावित परियोजना क्षेत्र में परियोजना की वास्‍ तविक रूप से जरूरत हैं?

23. क या एजेंसी ने शामिल किए जाने के लिए प्रस्‍ तावित लाभान्‍ वतों के ब्‍ यौरे दिए हैं? यदि हां, तो कृपया उनमें से कुछ का दौरा करें तथा निम्‍ नलिखित सूचना भेजें :

- लाभान्‍ वत का नाम :
- क या परियोजना के अंतर्गत सहायता की वास्‍ तविक रूप से जरूरत है?

24. एजेंसी के बारे में अन्‍ य कोई सूचना।

मैंने पूर्व-मूल्‍ यांकन संस्‍ वीकृति के दिशा-निर्देश पढ़ लिए है। इस रिपोर्ट में कृत्‍ यों की मिथ्‍ या-प्रस्‍ तुति निहित नहीं है।

(हस्‍ ताक्षर)
नाम
तारीख
(कार्यालय की सील)

भाग ख - राज्‍ य सरकार द्वारा सिफारिश

1. एजेंसी का नाम तथा पूरा पता :
2. स्‍ कीम जिसके लिए आवेदन किया गया है :
3. उस अधिकार का नाम तथा पदनाम जिसने एजेंसी का निरीक्षण किया हो :
4. क्‍ या आप निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत है और यदि नहीं तो तत संबंधी कारण क्‍ या है?
5. ऐसी एजेंसी स्‍ कीम के अंतर्गत अनुदान की पात्रता के सभी मानदंडों को पूरा करती है?
6. क्‍ या सरकार निधियों के दुरूपयोग की स्थिति में संस्‍ वीकृत अनुदान को वसूल करेगी ।
7. क्‍ या एजेंसी आवेदित परियोजना के क्रियान्‍ वयन के लिए सक्षम है?
8. क्‍ या एजेंसी द्वारा निधियों के दुरूपयोग अथवा अन्‍ य अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत है?
9. आवेदित परियोजना के लिए औचित्‍ य क्‍ या है?
10. क्‍ या प्रस्‍ ताव की अनुदानों की संस्‍ वीकृति के लिए सिफारिश कर दी गई है?

हस्‍ ताक्षर

नाम :

पदनाम :

तारीख :

(कार्यालय की सील)

अनुलग्‍ नक-III

भाग क - उपयोगिता प्रमाणपत्र

मैंने वाउचर की सहायता से..................अवधि के लिए परियोजना हेतु दिनांक..................... संस्‍ वीकृति संख्‍ या .... के माध्‍ यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मुक्‍ त ....रूपये के अनुदान के संबंध में ....(अनुदानग्राही एजेंसी का नाम) के खातों की जांच कर ली है और यह प्रमाणित करता हूं कि वे सही हैं और ....तक................................. रूपये की राशि का उपयोग जिस प्रयोजनार्थ यह संस्‍ वीकृत की गई थी, उपयोग कर ली गई है ।

(सनदी लेखाकार)
(सील)

भाग ख - सनदी लेखाकार/सरकारी लेखा परीक्षकों के लिए दिशा-निर्देश

सरकारी अनुदानों के संबंध में लेखों को प्रमाणित तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र को पृष ठांकित करने वाले लेखा परीक्षकों को निम् नलिखित मुद्दे ध् यान में रखने चाहिये:-

1. यदि पी एण ड आर गृह तथा हाफ-वे-होम में सहवासियों की संख या निर्धारित मानदण डों से कम अथवा अधिक है, तो उनके रख-रखाव पर व यय निर्धारित दरों के अनुसार भिन् न भिन् न होगा।
2. पी एण ड आर गृह तथा हाफ-वे-होम के लिए अनावर्ती व यय की संस् वीकृति केवल एक बार ही की जाएगी।
3. विशिष ट अवधि के लिए रिक त पड़े हुए विशेष पद के मामले में उन पदों पर वेतन का दावा किया नहीं जाना चाहिए।
4. लेखे, आय और व यय, प्राप् त तथा भुगतान और तुलन पत्र निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित सनदी लेखापाल द्वारा हस् ताक्षिरत मूल रूप में भेजे जाएंगे।
5. परियोजना के लिए अनुदानों के लेखे अलग-अलग तैयार किए जाने चाहिए। यदि यह संभव न हो, इस स् कीम का व यय परियोजना' शीर्ष के अंतर्गत अलग से दर्शाया जाना चाहिए। अनुमत मदों के लिए किया गया व यय व यवस् थत पैटर्न में निगमित प्रत येक उप-शीर्ष के अंतर्गत प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए।